बिहार सरकार
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना
(वन्यप्राणी प्रभाग)

संख्या–वन्यप्राणी– 28 दिनांक– 18.12.17

आदेश

पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा सम्यक विचारोपरान्त गंगा एवं सहायक नदियों में लुप्त हो रहे संकटाग्रस्त राष्ट्रीय जल जीव गांगेय डॉल्फिन (स्थानीय भाषा में सोंस के नाम से प्रचलित) के संरक्षण हेतु मछली फँसाने के जाल में डॉल्फिनों के फँसने पर बचाव या नौका एवं अन्य कारणों से डॉल्फिनों के घायल या संकटाग्रस्त होने पर बचाने के उद्देश्य से मछुआरों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा किये गये प्रयासों के लिए **"डॉल्फिन प्रतिरक्षण क्षतिपूर्त्ति–सह– प्रोत्साहन कार्यक्रम"** के संचालन का निर्णय लिया गया है। "डॉल्फिन प्रतिरक्षण क्षतिपूर्त्ति–सह–प्रोत्साहन कार्यक्रम" के अन्तर्गत निम्नवत् विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित मछुआरों एवं अन्य व्यक्तियों को प्रोत्साहन एवं क्षतिपूर्त्ति की राशियों का भुगतान किया जायेगा।

2. **प्रोत्साहन राशि एवं क्षतिपूर्त्ति के भुगतान हेतु घटनात्मक परिस्थितियाँ एवं प्रक्रियाः–**

(i) मछली जाल में डॉल्फिन फंसने पर मछुआरा द्वारा फंसे हुए डॉल्फिन का फोटो मोबाईल फोन में तुरन्त ले लिया जायेगा। इसके उपरान्त जाल को काट कर डॉल्फिन को छुड़ा देंगे तथा उसे नदी में छोड़ देंगे। इस पूरी घटना एवं प्रक्रिया का फोटो अपने मोबाइल में ले लेंगे। तदुपरान्त इसकी सूचना संबंधित वनपाल/वनों के क्षेत्र पदाधिकारी तथा वन प्रमंडल पदाधिकारी को उनके सरकारी मोबाइल फोन पर उपलब्ध करा देंगे। यदि सम्भव हो तो सभी फोटो को मोबाईल फोन द्वारा वनों के क्षेत्र पदाधिकारी तथा वन प्रमंडल पदाधिकारी को मोबाइल फोन पर भेज देंगे। मोबाईल फोन से घटना का फोटो नहीं लिये जा सकने अथवा उसे नहीं भेजे जा सकने की स्थिति में भी तुरत अन्य माध्यम से भी वनपाल/वनों के क्षेत्र पदाधिकारी को सूचना दी जा सकेगी।

(ii) मछुआ समुदाय के प्रतिनिधियों के माध्यम से संबंधित वनपाल/ वनों के क्षेत्र पदाधिकारी तथा वन प्रमंडल पदाधिकारी के कार्यरत मोबाईल फोन का नम्बर समय–समय पर उपलबध कराया जायेगा।

(iii) ऐसी घटना की सूचना मिलते ही वनपाल/वनों के क्षेत्र पदाधिकारी इसकी प्राथमिक सम्पुष्टि कराकर दो दिनों के अन्दर संलग्न प्रपत्र–1 में संबंधित मछुआरे से आवेदन भरवाकर उन्हें 2500/– रू० प्रोत्साहन राशि तथा 5000/–रू० जाल की कीमत की भरपाई का अन्तरिम अंश कुल 7500/–नकद भुगतान (Interim Part payment) करा देंगे।

(iv) इसके उपरान्त 15 दिनों में घटना के समस्त पहलुओं की जाँच एवं सम्पुष्टि कर जाल कटने की हानि का मूल्यांकन जो 17,500/– से अनधिक होगा, अवशेष क्षतिपूर्त्ति की राशि का भुगतान नकद में मछुआरे को कर दिया जायेगा। इस प्रकार प्रत्येक मामले में प्रोत्साहन राशि सहित अधिकतम भुगतान की राशि 20,000/– से अनधिक होगा। इसके लिए वनों के क्षेत्र पदाधिकारी अपना प्रतिवेदन एवं अनुशंसा वन प्रमंडल पदाधिकारी को भेजेंगे, जिसपर वन प्रमंडल पदाधिकारी क्षतिपूर्त्ति की राशि के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में आदेश देंगे।

(v) मछली जाल में फंसने के अलावे नौका प्रचालन से अथवा अन्य ज्ञात–अज्ञात कारणों से घायल अथवा संकटापन्न डॉल्फिन के बचाव हेतु विभिन्न रूप में प्रयास करने के मामलों में ऐसे प्रकरणों में संलग्न प्रत्येक मछुआरा या व्यक्ति को क्षतिपूर्ति सह प्रोत्साहन की राशि जो 5,000/– रूपये से अनधिक हो, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर स्वयं घटना का समुचित सत्यापन द्वारा संतुष्ट होकर वन प्रमंडल पदाधिकारी क्षतिपूर्ति–सह– प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति प्रदान करेंगे। ऐसे किसी प्रकरण में पाँच से अधिक व्यक्तियों के पात्रता के मामले में यदि प्रोत्साहन की सकल राशि 50,000/– से अधिक होने की स्थिति में 25,000/– रूपये तक की राशि स्वीकृत करते हुए उनके द्वारा आकलित अवशेष राशि की स्वीकृति हेतु अनुमोदन संबंधित वन संरक्षक से प्राप्त किया जायेगा।

(vi) इस पूरी प्रक्रिया के लिए आवेदन, जाँच, अंतरिम भुगतान, वन प्रमंडल पदाधिकारी को अग्रसारण एवं क्षतिपूर्त्ति की राशि के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में आदेश तथा अंतिम भुगतान के लिए एक ही समेकित अभिलेख संदर्भानुसार प्रपत्र–1 अथवा प्रपत्र–2 उपयोग में लाया जायेगा जिसकी प्रति संलग्न है।

(vii) तत्काल एवं त्वरित भुगतान हेतु सभी संबंधित वन प्रमंडलों में इस प्रयोजनार्थ 50,000/– रूपया की राशि स्थायी अग्रिम के रूप में नकद रखी जायेगी एवं वास्तविक व्यय होने पर व्यय राशि को प्रभारित कर स्थायी अग्रिम की भरपाई कर ली जायेगी।

(viii) मछली जाल में फँसे डॉल्फिन को बचाने हेतु जाल काटे जाने के एवज में क्षतिपूर्त्ति सह/अथवा प्रोत्साहन राशि का भुगतान संलग्न विहित **प्रपत्र–1** तथा अन्य कारणों से घायल या संकटाग्रस्त डॉल्फिन बचाने के प्रयास हेतु क्षतिपूर्त्ति सह/अथवा प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु संलग्न विहित **प्रपत्र–2** का प्रयोग किया जायेगा।

3. कार्यक्रम का क्रियान्वयन जिला एवं वन प्रमंडल –

जिला	वन प्रमंडल
भोजपुर, बक्सर, पटना, छपरा, वैशाली, सीवान, समस्तीपुर, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, पूर्णियाँ, कटिहार, सुपौल, सहरसा	भोजपुर वन प्रमंडल, पटना वन प्रमंडल, सारण वन प्रमंडल, वैशाली वन प्रमंडल, गोपालगंज वन प्रमंडल, समस्तीपुर वन प्रमंडल, मुंगेर वन प्रमंडल, बेगूसराय वन प्रमंडल, भागलपुर वन प्रमंडल, मिथिला वन प्रमंडल, दरभंगा, सीतामढ़ी वन प्रमं०, अररिया वन प्रमंडल, पूर्णियाँ वन प्रमंडल, सुपौल वन प्रमंडल एवं सहरसा वन प्रमंडल

4. **क्षतिपूर्त्ति एवं प्रोत्साहन राशि के व्यय का शीर्ष** – गैर योजना – मुख्य शीर्ष 2406 वानिकी तथा वन्यप्राणी, उप–मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष–001 निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष–0001 निदेशन और प्रशासन, विपत्र कोड–19–2406010010001, विषय शीर्ष 33.02 मुआवजा इकाई से किया जायेगा।

5. इस कार्यक्रम के संचालन में यह सतर्कता एवं निगरानी बरती जायेगी कि इसमें कोई आपराधिक कृत्य/मंशा/प्रवृत्ति का मामला अंतर्ग्रस्त नहीं हो एवं ऐसा दोषपूर्ण मामला स्थापित होने पर क्षतिपूर्त्ति तथा प्रोत्साहन राशि की वसूली एवं सुसंगत कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

6. यह कार्यक्रम सरकार के अनुमोदन से क्रियान्वित किया जा रहा है।

अनु०:–यथोक्त।

15/12/2017

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–
मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार

ज्ञापांक–वन्यप्राणी 691 दिनांक– 18·12·17

प्रतिलिपि निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, पटना/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना/ मुजफ्फरपुर/ भागलपुर/ वन संरक्षक, पटना/ वन्यप्राणी अंचल, पटना/ सीवान/ मुजफ्फरपुर/ भागलपुर/ पूर्णियाँ अंचल/ वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर/ पटना/ सारण/ वैशाली/ गोपालगंज/ समस्तीपुर/ मुंगेर/ बेगूसराय/ भागलपुर/ मिथिला/ सीतामढ़ी/ अररिया/ पूर्णियाँ/ सुपौल/ सहरसा वन प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:–यथोक्त।

15/12/2017

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–
मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार

ज्ञापांक–वन्यप्राणी 691 दिनांक– 18·12·17

प्रतिलिपि प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।
अनु०:–यथोक्त।

15/12/2017

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–
मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार

ज्ञापांक–वन्यप्राणी 691 दिनांक– 18·12·17

प्रतिलिपि आदेश की एक प्रति आई०टी० मैनेजर को विभागीय बेवसाईट http://forest.bih.nic.in पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु०:–यथोक्त।

15/12/2017

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–
मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार